1951-52 में हुआ पहला आम चुनाव। भारतीय संसद के दो सदन है-उच्च सदन-राज्यसभा और निम्न सदन-लोक सभा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। जिसका विघटन कभी नहीं होता है। हर दो वर्ष में इसके एक-तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं।

मृत्युदंड मामले में पीड़ित और समाज केंद्रित दिशानिर्देश देने पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आने वाले दिनों में मृत्युदंड पाए दोषियों का कानूनी पेचीदगियों का सहारा लेकर मौत को धता बताना कठिन होगा। सुप्रीम कोर्ट मृत्युदंड के मामले में पीड़ित और समाज के पहलू को ध्यान में रखकर दिशा निर्देश जारी करने और फांसी की सजा देने की समयसीमा तय करने पर विचार करने को राजी हो गया है।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अर्जी पर विचार का मन बनाते हुए नोटिस जारी किया। केंद्र ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 21 जनवरी 2014 में शत्रुघ्न चौहान के फैसले में मृत्युदंड के बारे में तय किए गए दिशानिर्देशों में संशोधन की मांग की है।

शुक्रवार को केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की पीठ के समक्ष आग्रह किया कि उस फैसले में कोर्ट ने दोषी के अधिकारों को केंद्र में रखते हुए दिशा निर्देश जारी किए थे। अब पीड़ित और समाज को केंद्र में रखते हुए दिशा निर्देश जारी करने की जरूरत है। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने साफ किया कि शत्रुघ्न चौहान मामले में जिनके पक्ष में फैसला हुआ था वे प्रभावित नहीं होंगे।

सख्त रुख

- ताकि कानूनी पेंच का सहारा लेकर फांसी से न बचने पाएं दोषी
- केंद्र की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट विचार को तैयार, नोटिस जारी

दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म कांड व अन्य मामलों में फांसी की सजा पाए दोषियों के कानूनी प्रक्रिया का लाभ उठा कर मामला लटकाने की प्रवृत्ति को देखते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी दाखिल की है। केंद्र ने अर्जी में मांग की है कि कोर्ट आदेश दे कि फांसी की सजा पाए दोषियों की दया याचिका खारिज होने के बाद सात दिन के भीतर डेथ वारंट जारी कर दिया जाएगा और उसके सात दिन के भीतर उन्हें फांसी दे दी जाएगी। इस पर उनके साथी सह अभियुक्तों की पुनर्विचार, क्यूरेटिव या दया याचिका लंबित रहने का असर नहीं पड़ेगा। सरकार ने शत्रुघ्न चौहान फैसले में फांसी के लिए तय की गई 14 दिन की समय सीमा को घटा कर सात दिन करने का आग्रह किया है। केंद्र ने कहा, कोर्ट ने शत्रुघ्न मामले में कहा था कि दया याचिका खारिज होने के बाद अभियुक्त को 14 दिन का समय दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा था कि फांसी की सजा पाए दोषी का मामला लटके रहना उस पर मानसिक अत्याचार है।

सरकार की मांग है कि कोर्ट आदेश दे कि पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समय सीमा के भीतर ही दोषी को क्यूरेटिव याचिका दाखिल करने की इजाजत होगी। दोषी दया याचिका देना चाहता है तो उसे डेथ वारंट जारी होने के सात दिन के भीतर ही ऐसा करना होगा। सरकार की यह भी मांग है कि कोर्ट राज्य, जेल अथारिटी तथा अन्य को आदेश दे कि वे दया याचिका खारिज होने के बाद सात दिन में डेथ वारंट जारी करेंगे और फिर सात दिन में फांसी दे दी जाएगी।

स्पाइसजेट डाटा लीक से प्रभावित हुए 12 लाख यात्री!

नई दिल्ली, आइएएनएस : भारत की बड़ी निजी विमानन कंपनी स्पाइसजेट में डाटा लीक का मामला सामने आया है। इससे उसके करीब 12 लाख यात्री प्रभावित हुए हैं। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में शोध करने वालों का दावा है कि स्पाइसजेट के डाटाबेस में आसानी से सेंध लगाई जा सकती है। इसके जरिये यात्रियों के नाम, फोन नंबर, ई-मेल आइडी और जन्मतिथि आदि जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। हालांकि, विमानन कंपनी ने दावों का खंडन करते हुए कहा कि उसके सिस्टम में डाटा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं।

टेकक्रंच के अनुसार, पहली बार डाटा लीक मामले का पर्दाफाश करने वाले शोधकर्ताओं ने बताया कि कोई भी बहुत ही आसानी से अनुमान लगाने वाले पासवर्ड के जरिये स्पाइसजेट के सिस्टम से डाटा हासिल कर सकता है। उनका कहना है कि एयरलाइन के डाटाबेस में कोई भी व्यक्ति आसानी से सेंध लगा सकता है, जो यह जानता हो कि उसे हासिल करने की

- साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं ने किया दावा
- विमानन कंपनी ने किया खंडन, कहा- हमारा सिस्टम बेहद सुरक्षित

सामान्य प्रक्रिया क्या है। शोधकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने डाटा लीक के बारे में स्पाइसजेट को आगाह किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई सकारात्मक प्रक्रिया नहीं आई है। इसके बाद उन्होंने भारत सरकार की इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पांस टीम (सीईआरटी-आइइन) को इत्तला किया। हालांकि, सीईआरटी-आइइन ने क्या उपाय किए हैं, इसकी जानकारी नहीं दी गई है।

स्पाइसजेट ने एक बयान में कहा, 'हमारे यात्रियों का डाटा पूरी तरह सुरक्षित है। हमारे सिस्टम पूरी तरह सक्षम और सुरक्षित हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। हम यात्रियों के डाटा की सुरक्षा के लिए हरसंभव उपाय करते हैं और आश्वस्त करते हैं कि डाटा की देखभाल उत्कृष्ट और सबसे सुरक्षित तरीके से की जा रही है।'

एनपीआर से माता-पिता के विवरण से जुड़ा सवाल हटाया जाए : जदयू

नई दिल्ली, प्रेट्र : जनता दल (यूनाइटेड) ने शुक्रवार को राजग घटक दलों की बैठक में सरकार से अनुरोध किया कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एपीआर) की प्रश्नावली से माता-पिता के विवरण से जुड़े सवाल हटाए जाएं।

जदयू नेता ललन सिंह ने बताया कि राजग की बैठक में उन्होंने यह मुद्दा उठाया और गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वस्त किया कि इस मसले पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा, इस मसले पर शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने भी जदयू का समर्थन किया। शुक्रवार से शुरू हुए संसद के बजट सत्र में रणनीति पर विचार-विमर्श के लिए बुलाई गई भाजपा व उसके सहयोगी दलों की इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर पहले ही कह चुके हैं कि एनपीआर की कवायद के दौरान लोग माता-पिता की जन्मतिथि या अन्य जानकारियां नहीं देने के लिए स्वतंत्र हैं। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में एनपीआर की कवायद शुरू करने की घोषणा भी कर दी है।

अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाना ऐतिहासिक

अभिभाषण ▶ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का तेज विकास प्राथमिकता

अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लोगों के परिपक्व व्यवहार को सराहा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाने के फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास का रास्ता साफ हुआ है। उन्होंने अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों द्वारा दिखाई गई परिपक्वता की भी सराहना की और कहा कि इससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जम्मू-कश्मीर व लद्दाख का तेज से विकास करना है। सरकार के ऐतिहासिक फैसले से इन दोनों नए केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले सभी वर्ग के लोगों को वह अधिकार मिले हैं जो देश के बाकी नागरिकों को हासिल हैं। इस फैसले पर उठाए जा रहे सवालों को राष्ट्रपति ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लोकसभा में दिए बयान का हवाला देते हुए खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि संघीय व्यवस्था में एक राज्य के नागरिकों के मौलिक अधिकार दूसरे राज्य से अलग नहीं हो सकते। जम्मू-कश्मीर में हुए संवैधानिक बदलाव के बाद वहां केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में आई तेजी की चर्चा करते हुए राष्ट्रपति ने सरकार द्वारा वहां के लिए लागू की गई तमाम बड़ी स्कीमों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पंचायती राज व्यवस्था की नई शुरुआत हुई है। 300 ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव को भी उन्होने अहम कदम बताया।

राष्ट्रपति ने कहा कि रामजन्म भूमि मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जिस तरह का भरोसा जताया है, उससे लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। फैसले पर लोगों का परिपक्व व्यवहार सराहनीय है।

भारत पांच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की राह पर : मोदी दो सरकार की अहम उपलब्धियां की फेहरिस्त में करतारपुर कॉरिडोर की शुरुआत को राष्ट्रपति ने ऐतिहासिक करार दिया। वर्ल्ड बैंक की इज आफ डूइंग बिजनेस, विश्व इनोवेशन और दिवालियापन का समाधान निकालने में भारत की सुधरी विश्व रैंकिंग का हवाला देते हुए उन्होंने आर्थिक मोर्चे पर सरकार के कदमों से हो रहे बदलाव का जिक्र किया। इन कदमों से भारत पांच ट्रिलियन डॉलर (350 लाख करोड़ रुपये) की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है।

सरकार की उपलब्धियां गिनाई : राष्ट्रपति ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सरकार के मूल मंत्र से नागरिकों के जीवन में हो रहे बड़े बदलावों की भी चर्चा की। आठ करोड़ गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन, दो करोड़ गरीबों को घर, लगभग 38 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खुलने, पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 43 हजार करोड़ रुपये उनके खाते में ट्रांसफर किए जाने, 50 करोड़ लोगों को पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज, 24 करोड़ लोगों को बीमा सुरक्षा और ढाई करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए जाने के सरकार के कदमों को इसी मूल मंत्र का हिस्सा बताया।

नई दिल्ली में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए जाते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। साथ में सबसे आगे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। उनके पीछे राष्ट्रपति कोविंद व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रेट्र

भावी विकास की रूपरेखा पेश की : सरकार के विकास की भविष्य की रूपरेखा रखते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि अगले पांच साल में नए हाइवेज, वाटरवेज, एयरवेज और आईवेज बनाने पर जोर दिया जाएगा। इस पर 100 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश होगा। गांवों की सड़कों को बेहतर कर मुख्य मार्गों से जोड़ने की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का तीसरा चरण भी शुरू हो गया है। गांवों में सभी घरों को पाइप से पीने का पानी पहुंचाने का जल जीवन मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा जिस पर 3 लाख 60 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। डिजिटल युग में देश के गावों को विकास की गति से जोड़ने के लिए ब्राडबैंड कनेक्टिविटी की योजना से लेकर स्टार्ट अप इंडिया स्कीम की अहमियत की भी चर्चा की।

संयुक्त सत्र में ही दिख गई सीएए पर सियासी घमासान की झलक

संजय मिश्र, नई दिल्ली

- सत्तापक्ष ने मेजें थपथपाकर तो विपक्ष ने नारेबाजी की गूंज से दिए संकेत
- 14 विपक्षी दलों के नेताओं ने काली पट्टी बांधी

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के साथ एनआरसी-एनपीआर पर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच सियासी घमासान की झलक राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान पहले ही दिन दिख गई। कांग्रेस समेत विपक्ष की 14 पार्टियों के सांसदों ने अभिभाषण के दौरान हाथ में काली पट्टी बांधकर आक्रामक विरोध जताया। सत्ता पक्ष ने मेजों की थपथपाहट से सेंट्रल हॉल में सीएए के मुखर समर्थन के सुर को गुंजायमान कर बैकफुट पर नहीं आने का साफ संदेश दिया। तो विपक्ष ने भी इस दौरान नारेबाजी और शोरगुल के सियासी विकल्प का इस्तेमाल कर सरकार से भिड़ने के अपने इरादे स्पष्ट कर दिए।

सीएए-एनआरसी-एनपीआर पर बजट सत्र में सरकार की आक्रामक घेरेबंदी के विपक्ष के तेवरों का संकेत राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले ही संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने दिख गया। कांग्रेस की अगुआई में 14 पार्टियों के नेताओं ने सरकार पर संविधान की अनदेखी कर सीएए लाने का आरोप लगाते हुए काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद अभिभाषण के दौरान इन दलों के सांसदों ने सेंट्रल हॉल में भी काली पट्टी बांधे रखी। अपने कड़े विरोध का इजहार करने के लिए सोनिया गांधी, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी सरीखे नेता पहली पंक्ति की अपनी सीट पर नहीं बैठे। सोनिया और आजाद पीछे पांचवीं पंक्ति में अपने सांसदों के साथ बैठे। वहीं शरद पवार और मुलायम सिंह जैसे वरिष्ठ नेता तो सदन में आए ही नहीं थे। पूर्व प्रधानमंत्री के नाते मनमोहन सिंह के अलावा पहली पंक्ति में विपक्ष का कोई नेता बैठा ही नहीं।

अभिभाषण के क्रम में राष्ट्रपति ने सबसे पहले जब जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के कदमों का जिक्र किया तो सत्तापक्ष ने इस दौरान 10 बार मेजें थपथपाई। विपक्षी दलों के सदस्यों ने सत्ता पक्ष की इस धमाकेदार गूंज पर किसी तरह का विरोध नहीं किया। मगर जब सीएए लाने के सरकार के फैसले को राष्ट्रपति ने ऐतिहासिक ठहराया तो सत्तापक्ष की यह गूंज गड़गड़ाहट में तब्दील हो गई। भाजपा-राजग के सांसद कुछ मिनटों तक इतनी जोर-जोर से मेज थपथपाते रहे कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति की बात सुनने के लिए कान में हेडफोन लगाना पड़ा। सत्ता पक्ष के इस उत्साह को देख विपक्षी सांसदों का धैर्य भी जवाब दे गया। सबसे पहले सपा के शफीकुर रहमान बर्क और असम के एक कांग्रेस सांसद ने उठकर विरोध की आवाज उठाई। इसके बाद तो सभी विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े होकर अभिभाषण के दौरान 'शर्म करो' की नारेबाजी करने लगे। इसमें युवा सांसदों से लेकर वयोवृद्ध सदस्य मोतीलाल वोरा तक शामिल थे। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी तभी थमी जब सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेज थपथपाना बंद किया।

सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच झलक रही इस तनातनी के बावजूद इसके बाद राष्ट्रपति के संबोधन में नारेबाजी नहीं हुई। हालांकि अभिभाषण के 45वें मिनट के दौरान अचानक तृणमूल कांग्रेस के सांसद अपनी जेबों से उजले कपड़े पर लाल रंग से सीएए-एनआरसी और एनपीआर के विरोध में लिखे बैनर लिए खड़े हो गए। करीब पांच मिनट तक बिना शोरगुल किए तृणमूल कांग्रेस के सांसद बैनर और पोस्टर राष्ट्रपति के सामने लहराते रहे। पार्टी के एक सांसद ने मोबाइल से इसका वीडियो बनाने से भी गुरेज नहीं किया। हालांकि पक्ष-विपक्ष के बीच बैनर लहराने को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ और शांति बनी रही। तभी सेंट्रल हाल के ऊपरी झरोखे से एक अर्द्धसफेद कबूतर उड़ता हुआ अंदर आया और चुपचाप दूसरे झरोखे पर जाकर बैठ गया।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव लाएगा विपक्ष

अभिभाषण में सीएए को शामिल करने पर एतराज जाहिर करते हुए राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इसे राष्ट्रपति के संबोधन का हिस्सा बनाना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति तो केवल कैबिनेट से पारित संबोधन पढ़ते हैं। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि सरकार देश को विभाजित करने के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है जो बेहद खतरनाक है। विपक्षी दलों ने साफ संकेत दिए हैं कि अभिभाषण में सीएए के जिक्र पर विपक्षी दल राज्यसभा में संशोधन प्रस्ताव लाकर सरकार को मुश्किल में डालेंगे और इस पर दोनों के बीच घमासान होना तय है।

आरटीआइ एक्ट में संशोधन को चुनौती देने वाली अर्जी पर केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली, एजेंसियां : सूचना का अधिकार (आरटीआइ) अधिनियम में संशोधनों को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता जयराम रमेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ व केएम जोसेफ की पीठ ने नोटिस पर केंद्र से चार हफ्ते में जवाब तलब किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि संशोधनों के जरिये सूचना आयोग के अधिकारों में कमी की गई है।

पिछले साल कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया था कि संस्था से बदला लेने के उद्देश्य से सरकार सूचना का अधिकार अधिनियम में संशोधन ला रही है क्योंकि उसने सरकार के झूठे दावों को उजागर कर दिया था। सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान जयराम रमेश ने सरकार द्वारा अधिनियम को कमजोर करने के पीछे पांच कारण बताए थे।

कांग्रेस नेता का कहना था कि 2003 से 2013 के बीच गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री (नरेंद्र मोदी) को उनके राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति पर जवाब देने के लिए योजना आयोग में आने के लिए बाध्य किया गया था। गुजरात के मुख्यमंत्री

जयराम रमेश फाइल फोटो

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दायर की है सुप्रीम कोर्ट में याचिका

जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपना बदला लिया और योजना आयोग को खत्म कर दिया। आज प्रधानमंत्री पांच मामलों में अपना बदला ले रहे हैं क्योंकि इन मामलों में सूचना आयोग के आदेश से सरकार का झूठ उजागर हो गया। इनमें प्रधानमंत्री की शैक्षिक योग्यता, बोगस राशन कार्ड के मामले में प्रधानमंत्री का झूठा दावा, नोटबंदी पर रिजर्व बैंक की नामंजूरी को उजागर करना, तत्कालीन रिजर्व बैंक गवर्नर द्वारा टॉप एनपीए डिफॉल्टरों की सूची देना और विदेश से लाई गई कालेधन की राशि उजागर करना। ये सभी मामले सरकार को शर्मसार करने वाले हैं। लिहाजा संशोधन विधेयक लाने का असल मकसद सूचना आयोग को दंतविहीन और प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर कार्य करने वाली संस्था बनाना है।

गुजरात में मां की जाति से भी बन सकेगा बच्चे का जाति प्रमाण पत्र

शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद

- विधवा, तलाकशुदा व सिंगल मदर के मामलों पर राज्य सरकार का फैसला
- राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को इस संबंध में जारी किए गए आदेश

केंद्र की अधिसूचना के आधार पर गुजरात सरकार ने अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) वर्ग की विधवा और परित्यक्ता के बच्चों का प्रमाण पत्र मां की जाति के आधार पर बनाने का निर्देश जारी किया है।

गुजरात सरकार ने राज्य के सभी जिला कलेक्टर (डीएम) व सामाजिक न्याय विभाग के निदेशकों को केंद्र सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय विभाग की अधिसूचना को अग्रसारित करते हुए कहा है कि विधवा, तलाकशुदा और अकेली रहने वाली माता की संतान का प्रमाण पत्र उसकी माता की जाति के अनुसार बनाया जाएगा। अभी तक आमतौर पर जाति प्रमाण पत्र पिता की जाति के आधार पर ही बनाए जाते रहे हैं।

केंद्र सरकार ने अब यह स्पष्ट किया है कि विशेष परिस्थिति, तलाकशुदा, परित्यक्ता व विधवा महिला के बच्चों के जाति प्रमाण उसकी माता की जाति समुदाय के आधार पर ही बनाए जाने चाहिए यदि बच्चों का लालन-पालन मां के सानिध्य में ही हुआ हो। बता दें कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव तथा केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासकों को भी यह परिपत्र जारी कर इसकी अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए थे।

सरकार ने दो अदालतों के फैसलों को भी इसके साथ संलग्न किया है जिसमें से एक उच्चतम न्यायालय में महेश भाई नायक बनाम स्टेट ऑफ गुजरात तथा दूसरा दिल्ली हाईकोर्ट का रुमी चौधरी बनाम राजस्व विभाग एनसीटी- दिल्ली मामला का है जिनमें पिता की जाति के अलावा मां की जाति के आधार पर बनने वाले जाति प्रमाण पत्र को स्वीकार्यता दी गई है। उल्लेखनीय है कि यह नई व्यवस्था होगी।

निलंबित विधायक भूपेंद्र खांट को बंधी उम्मीद

गुजरात में ऐसे ही एक मामले में विधायक भूपेंद्र सिंह खांट की विधानसभा की सदस्यता रद्द की जा चुकी है। पंचमहल जिले की मोरवा हडफ विधानसभा से 2017 में विधायक चुने गए भूपेंद्र की विधानसभा की सदस्यता मई 2019 में विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उनका प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। राज्य के आदिवासी विकास आयुक्त ने बताया कि खांट की माता अनुसूचित जनजाति से आती हैं जबकि पिता ओबीसी समुदाय के हैं, इसलिए भूपेंद्र खांट का अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। भूपेंद्र सिंह बताते हैं कि पिता ने मां को छोड़ दिया था। उनका जन्म मां के पीहर में हुआ तथा लालन-पालन व स्कूली शिक्षा भी वहीं पर पूरी की। सरकार के नए परिपत्र ने भूपेंद्र की उम्मीद को जगा दिया है। फिलहाल उनका मामला गुजरात उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तथा 5 फरवरी को इस पर सुनवाई होनी है।

बड़ा फैसला

रेलवे बोर्ड ने कारोबारियों की मांग पर उठाया यह कदम, मालगाड़ियों से सामान उतारने या चोरी जैसी घटनाओं को रोकने में मिलेगी मदद

मालगाड़ी में सामान की रक्षा करेंगे निजी सुरक्षाकर्मी

नई दिल्ली, प्रेट्र : मालगाड़ियों में सामान की सुरक्षा के लिए रेलवे बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड ने पहली बार निजी एजेंसियों के सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों को मालगाड़ियों में लदे सामान की देखभाल की इजाजत दे दी है। शुरुआती तौर पर पूर्वी जोन में यह आदेश एक फरवरी से लागू होगा और अगले छह महीने तक प्रभावी रहेगा। मुफीद परिणाम आने पर दूसरे जोनों में भी योजना लागू की जाएगी।

रेलवे बोर्ड की तरफ से 29 जनवरी को जारी आदेश के अनुसार, 'सक्षम प्राधिकार ने मालगाड़ियों में लदे सामान की निगरानी के लिए सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों को यात्रा की इजाजत दी है। मालगाड़ी से सामान उतारने या चोरी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए निजी सुरक्षाकर्मी ब्रेक वैन में मौजूद रहेंगे।' एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'हालांकि, मालगाड़ियों से सामान उतारने या चोरी की घटनाएं ज्यादा नहीं हुई हैं, लेकिन कारोबारियों की मांग को देखते हुए हमने ऐसा निर्णय लिया है।'

आदेश के अनुसार, 'पूर्वी रेलवे को निजी सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों की गतिविधियों पर करीब

- पहली बार रेलवे बोर्ड ने कुछ शर्तों के साथ दी इजाजत
- पूर्वी जोन में छह महीने के लिए आज से प्रभावी होगी योजना

प्रतीकात्मक

से नजर रखनी चाहिए। खासकर सुरक्षा और ब्रेक वैन में मौजूद रेलवे कर्मचारियों की दृष्टि से। इसके बाद उसे इस योजना को दूसरे जोनों में लागू करने के संबंध में रिपोर्ट देनी चाहिए।'

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में पहली बार निजी ग्राहकों के माल की सुरक्षा के लिए मालगाड़ी में सुरक्षाकर्मियों की यात्रा को अनुमति दी गई थी। हालांकि, तब उन्हें हथियार साथ ले जाने की इजाजत नहीं थी।

व्यवस्था होगी चाक-चौबंद तभी मिलेगी इजाजत : निजी सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों की मालगाड़ियों में यात्रा के लिए शर्तें भी रखी गई हैं। रैक में माल की लदान से पहले उसे भेजने या पाने वाली कंपनी या कारोबारी की तरफ से सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों की संख्या और उनकी सुरक्षा एजेंसी के नाम के साथ आवेदन करना होगा। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ब्रेक वैन में यात्रा करने वाले सशस्त्र सुरक्षाकर्मी केंद्र व राज्य के कानून तथा समस्त नियमों का अनुपालन करते हैं।

आदेश के अनुसार, 'निजी सुरक्षा एजेंसी को इसके बारे में रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस बल व पुलिस को एडवांस में सूचना देनी होगी। उन्हें निजी सुरक्षा एजेंसी के बारे में समस्त सूचनाएं और उपयुक्त दस्तावेज भी उपलब्ध कराने होंगे। सुरक्षा एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों को ड्यूटी से पहले सुरक्षाकर्मियों को समस्त जानकारियां देनी होंगी।'

अकाउंटेंट के घर सीबीआइ का छापा, 31 लाख नकद और गहने बरामद

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने मणिपुर की राजधानी इंफाल में छापेमारी के दौरान महालेखाकार के दफ्तर में तैनात वरिष्ठ अकाउंटेंट वाईएस मेइती के परिसरों से 31 लाख रुपये से ज्यादा की नकदी, 18 लाख से ज्यादा के सोने के गहने तथा संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज बरामद किए हैं। मामला आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा है।

अधिकारियों के अनुसार, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने वाईएस मेइती के खिलाफ सेवा के दौरान 1.40 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मुकदमा दर्ज किया है। मेइती के आवास व दफ्तर में छापेमारी के दौरान सीबीआइ ने नकदी व अन्य सामग्री जब्त की है। सीबीआइ को इस छापेमारी में इंफाल में स्थित दो बहुमंजिला इमारतों के दस्तावेज और एटीएम कार्ड के साथ 70 से अधिक पासबुक बरामद हुई हैं। ये पासबुक अलग-अलग लोगों के नाम पर हैं।

कह के रहेंगे माधव जोशी